न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 32/24 GCMS NO 2024/63

छोटे लाल पुत्र मांगी लाल जाति ब्राहम्ण पारीक निवासी बिचपुरी तहसील बामनवास जिला गंगापुर सिटी

अपीलांट

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

बनाम

1. रामेश्वर प्रसाद पुत्र रामसहाय
2. रमेश पुत्र रामेश्वर
3. अशोक पुत्र रामेश्वर
4. जयप्रकाश पुत्र रामेश्वर
5. चन्द्रशेखर पुत्र रामेश्वर जातियान ब्राहम्ण पारीक निवासीयान बिचपुरी तहसील बामनवास जिला गंगापुर सिटी हालवासी कुलदीप नगर, आदर्श विधा मंदिर के पास लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 146/20 निर्णय दिनांक 4.4.24 न्यायालय उप जिला कलक्टर, बामनवास)

अभिभाषक अपीला0 श्री धीरेन्द्र पाल सिह
अभिभाषक रैस्पो0 श्री अभय गुप्ता

दिनांक 12.02.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय दिनांक 4.4.24 न्यायालय उप जिला कलक्टर, बामनवास पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलांट द्वारा दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आरजीयात हाल ख0न0 1590 रकबा 0.25 है0, 1593 रकबा 0.16 है0, 1594 रकबा 0.57 है0, 1595 रकबा 0.45 है0, 1609 रकबा 0.26 है0, 1610 रकबा 0.32 है0, 1632 रकबा 0.33 है0, 1633 रकबा 0.50 है0, 1682 रकबा 0.43 है0, 1683 रकबा 1.43 है0, 1686 रकबा 0.49 है0, 1696 रकबा 0.29 है0, कुल किता 12 कुल रकबा 5.48 है0 वाके ग्राम बिचपुरी तहसील बामनवास में स्थित है जिसका वादी काबिज काश्तकार खातेदार टीनेन्ट चला आ रहा है। जमाबंदी राजस्व रिकार्ड स[illegible]–78 मे इन्द्राज खातेदारी वादी के नाम दर्ज है। वादी ने आराजी हाल ख0न0 1590 मे [illegible], 1593 मे गेहूँ, 1594 मे गेहूँ, 1595,1609, 1610,1632 मे सौफ, 1633 के हिस्सा 1/2 मे गेहूँ व कुछ भूमि पड़त पडी है। 1682,1683,1686,1696 मे गेहू की जिंस काश्त की है। इसकी पिलाई ख0न0 [illegible] से होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:36:51 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

जिसका इन्द्राज वादी एवं प्रतिवादी न0 1 के नाम कागजात सरकार मे दर्ज है। इस प्रकार वादी उक्त चाह से अपने कब्जे काश्त खातेदारी की आपपाशी करता चला आ रहा है। जिसमे प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई संबंध नही है। प्रतिवादीगण एक ही परिवार से संबंधित है। व भूमि उक्त को वादी के कब्जे काश्त खातेदारी उपयोग उपभोग मे मदालतखत करते है। वादी को उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न करते है। दिनांक 29.11.20 को वादी के कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग व उपभोग मे प्रतिवादीगण द्वारा बाधा उत्पन्न की। वादी को धमकी दी गई कि इस भूमि से लाभान्वित नही होने देगे। जिसका उनको कोई अधिकार नही है। इस प्रकार प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि भूमि कुल किता 12 कुल रकबा 5.48 है0 ग्राम बिचपुरी मे वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की मदालखत ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। जबरन भूमि मे प्रवेश नही करे तथा फसल का नष्ट नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/अपीलांट द्वारा चाही गई।

प्रतिवादीगण रामेश्वर की और से अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का पेश किया गया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी/अपीलांट का वाद खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागणो की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायांलय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल एवं पूर्णत आरबेट्ररी , परवरिश होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड व साक्ष्य व बिना तनकीयात कायम किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर वाद पत्र बिना किसी वाद कारण के पेश किये जाने तथा वादी को किसी प्रकार का वाद कारण उत्पन्न नही होने का पेश किया था जिसका जबाब प्रार्थी/अपीलांर्थी द्वारा दिया गया कि प्रार्थना पत्र तहरीर व तकमील किया गया है पूर्ण रूपेण गलत है आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का किसी भी इन्ग्रीडेन्ट मे तथाकथित प्रार्थना पत्र नही आता है वादी ने अपने वाद पत्र के मद न0 5 मे स्पष्ट दर्ज किया कि प्रतिवादीगण ने दिनांक 29.11.20 को वादी के कब्जे काश्त के उपयोग उपभोग मे बाधा डालेगे तथा जबरन फसल को काटकर ले जावेगे जिसका उनको अधिकार नही है। इसी वाकयात पर दावे के मद न0 8 मे वाद कारण दर्ज किया है। इस प्रकार रामेश्वर का कथन अपने आप मे असत्य हो जाता है वादी का दावा स्थाई निषेधाज्ञा का है भूमि मुतदाविया वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजीयात है जो जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 से स्पष्ट है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:36:51 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपास्त योग्य है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मे सिर्फ वाद पत्र को ही देखा जाता है जबाब दावा या अन्य दस्तावेज नही देखे जाते है ना ही पढे जाते है। जिसके बाबत वादी/अपीलार्थी द्वारा लिखिल बहस प्रस्तुत कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डीएनजे 2015 पेज 242 आदेश 7 नियम 11 पर अपना स्पष्ट विवेचन किया कि सिर्फ वाद पत्र ही देखा जावेगा अन्य नही एवं डीएनजे 2017(1) राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच ने अन्नतपाल सिह बनाम सुमेर सिह मे स्पष्ट रूप से कॉज आफ एक्शन क्या है। पेज न0 5 पैरा न0 15 मे उल्लेख किया इन न्यायिक दृष्टांतो पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही करके जैर अपील निर्णय पारित कर अहम भूल की है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय आस्त योग्य है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर न्यायालय को केवल मात्र वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की एक्र्समेंट तक सीमित रहकर वाद पत्र को एज ए होल देखना होता है न्यायालय कदापित प्रतिवादी की और से प्रस्तुत दस्तावेज या जबाब दावे को प्रार्थना पत्र को निस्तारण मे आधार नही बना सकता जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही करके विधिक भूल की है। दूसरे वाद पत्र के जबाब दावे का अभिकथन किया कि उसमे वाद हेतुक दर्ज नही है जबकि दोनो वाद पत्रो की विषयवस्तु भिन्न थी एवं अनुतोष भी भिन्न थे एवं अपीलार्थी /वादी जैर आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार है। जिसका वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय ने विधिक भूल की है। न्यायालय हाजा द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी को को स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रमाणित प्रतियो को रिकार्ड पर लिया गया है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया था। इस प्रकार जैर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 146/20 एवं उसके आधार पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 117/20 उनवानी छोटे लाल बनाम रामेश्वर निरस्त फरमाया जाकर पत्रावली वास्ते जबाब दावे एवं साक्ष्य सबूत लिये जाकर एवं मेरिट पर निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा मे वादी को किसी प्रकार का कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ। वाद पत्र बिना किसी वाद कारण उत्पन्न हुए पेश किया गया था। यह इस वाद से प्रमाणित है कि वादी द्वारा वाद उनवानी रामेश्वर बनाम छोटेलाल मे दिनांक 4.12.20 को जबाब दावा पेश किया है उक्त जबाब दावे मे दिनांक 3.12.20 तक कोई घटना घटित होना अंकित नही किया है ना ही काउन्टर क्लेम पेश किया है। यदि कोई घटना घटित होती तो निश्चित रूप से वादी छोटेलाल अपने जबाब दावे मे कथन करता तथा उक्त उनवानी वाद रामेश्वर बनाम छोटेलाल मे अपना काउन्टर क्लेम पेश करता। अपीलांट छोटेलाल से पूर्व ही रामेश्वर के द्वारा पूर्व मे ही घोषणा का दावा पेश किया हुआ है व अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति प्राप्त की है ऐसी सूरत मे जबाब दावे मे काउन्टर क्लेम पेश नही करने तथा रामेश्वर बनाम छोटेलाल दावे मे अंकित तथ्यो का खण्डन नही करने के चलते छोटेलाल को पृथक से

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:36:51 IST
Reason: SelfAttested

अपीलीय अधिकारी
सवाई माधोपुर

दावा प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही था। रामेश्वर के मूल दावे को छोटे लाल का उक्त दावा प्रभावित करता है इसके चलते छोटेलाल को कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है। वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे बिना किसी वाद कारण के ही वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट/वादी की और से अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 7.3.24 को दावे को विड्रो करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जिस पर विस्तृत रूप से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 7.3.24 को निर्णय पारित किया गया। जिसके बाबत अपीलांट द्वारा अपनी अपील मे किसी प्रकार का तथ्य दर्ज नही करके न्यायालय हाजा को गुमराह किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानो के तहत ही प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर दावा वादी सही रूप से खारिज किया गया है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 रामेश्वर प्रसाद द्वारा एक वाद संख्या 132/20 पेश किया गया था जिसमे अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा दिनांक 4.12.20 को जबाब दावा पेश किया गया था जिसमे भी दिनांक 3.12.20 तक कोई घटना घटना घटित होना अंकित नही किया है साथ ही ज़बाब दावे के साथ काउन्टर क्लेम पेश नही किया गया। केवल मात्र प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया गया। जिसकी निगरानी संख्या 2275/24 छोटेलाल बनाम रामेश्वर वगै0 माननीय राजस्व मंडल अजमेर मे विचाराधीन है। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 146/20 निर्णय दिनांक 4.4.24 के विरूद्व अपील दायर की गई है। चूकिः प्रकरण संख्या 132/20 की निगरानी माननीय मण्डल मे विचाराधीन है। इस तथ्य को अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे जाहिर नही किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानो के तहत ही रेस्पो/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी विधि के प्रावधानो के तहत ही स्वीकार किया जाकर वादी/अपीलांट का वाद पत्र विधिक रूप से खारिज किया गया है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, बामनवास के मु0नं0 146/20 निर्णय दिनांक 4.4.24 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को लिखाया जाकर सुने इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:36:51 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर